1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 6, 1949)

THE UNITED PROVINCES PRIVATE FORESTS ACT, 1948

(U.P. Act No. VI of 1949)

1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट[1]

[संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 6, 1949 ई0]

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव एसेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल ने क्रमशः 25 अक्टूबर, 1948 ई0 तथा 17 जनवरी, 1949 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

[भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश सन् 1947 ई0 द्वारा अनुकूलित भारत–शासन;विधान सन् 1935 ई0 की धारा 76 के अन्तर्गत गवर्नर जनरल ने तारीख 27 अप्रैल, 1949 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और संयुक्त प्रान्तीय सरकारी असाधारण गजट में तारीख 11 मई, 1949 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

संयुक्त प्रान्त में निजी जंगलों तथा बागों की सुरक्षित रखने तथा परती भूमि में जंगल लगाने की व्यवस्था का

एक

ऐक्ट

जिस भूमि एवं जंगलों पर सरकार का अधिकार नहीं है, अथवा इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 ई0 के अधीन जारी की हुई विज्ञप्तियां और आदेश जिन पर लागू नहीं हैं, उन जंगलों तथा बागों को सुरक्षित रखने और उन परतियों पर वृक्ष लगाने की व्यवस्था करना उचित प्रतीत होता है। अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता है :–

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू होना

1–(1) यह 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट कहलायेगा।

(2) यह [2]सम्पूर्ण [3][उत्तर प्रदेश] में लागू होगा।

(3) यह धारा तुरन्त लागू होगी। इस ऐक्ट की शेष धाराएं सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप में, उस दिनांक से और उस क्षेत्र में लागू होगी, जिसके सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार विज्ञप्ति द्वारा आदेश करे। विभिन्न क्षेत्रों में इस ऐक्ट के विभिन्न आदेशों के सम्बन्ध में विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये देखिए युक्त प्रांतीय सरकारी असाधारण गजट, तारीख 20 फरवरी, 1948 ई0।
2. ए0 ओ0 1950 द्वारा (संयुक्त प्रान्त) के लिये प्रतिस्थापित।
3. This Act has been extended to the areas mentioned in Column 1 of this table under the Act or Order mentioned in Column 2 and enforeced in such areas by notification, if any, mentioned in Column 3 with effect from the date mentioned in Column 4 against each such area.

Areas	Act or Order under which extended	Notifiation, if any under which enforced	Date from which enforced
1. Rampur District	Rampur (Application of Laws) Act, 1950.	Noti. No. 1670/XVII–Merge, dated May 25, 1950, in Gazette, dated June 3, 1950, Pt. 1., p. 328.	June 1, 1950.
2. Banaras District	Banaras (Application of Laws) Order, 1949.	Noti. No. 1671/XVII,–Merge, dated May 25, in *ibid.*	Ditto
3. Tehri-Garhwal District	Tehri-Garhwal (Application of Laws) Order, 1949.	Noti. No. 1669/XVII–Merge, dated May 25, 1950 in *ibid.*	Ditto
4. Portion of Mirzapur District south of the Kaimur Range	Sub-sec. (1) of S. 92 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the Indian (Provisional Constitution Order), 1947.	Noti. No. 4355/XIV–451-49, dated July 29, 1952, in Gaz. dated Aug. 2, 1952, Pt. I, p. 704.	Aug 2, 1952
5. Jaunsar-Bawar Pargana in Dehra Dun District	U.P. Laws (Extension of Application) Act, 1951.	Noti. No. 4320/XIV–451 (a)-49, dated Jan. 4/5, 1950, in Gaz., dated Jan. 7, 1950, Pt. I, p. 8.	

भूमि, जिस के सम्बन्ध में यह ऐक्ट लागू नहीं होगा

2–निम्नलिखित के सम्बन्ध में यह ऐक्ट लागू नहीं होगा :–

(क) जिस भूमि पर सरकार का अधिकार हो,

ऐक्ट नं0 16, 1927 ई0

(ख) जिस भूमि पर इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 ई0 के अधीन जारी की हुई विज्ञप्तियां एवं आदेश लागू हों, और

(ग) किसी क्षेत्र में, जिसमें कुमायूं पंचायत नियम लागू होते हैं।

परिभाषायें

3–इस ऐक्ट में जब तक कोई बात, विषय अथवा प्रसंग के विपरीत न हो :–

(1) ''पशु'' में गाय, बैल, सांड़, हाथी, हथिनी, ऊंट, ऊंटिनी, भैंसा, घोड़ा, घोड़ी, खच्चड़, गदहे, गदही, सुअर, भेड़, भेड़ी, बकरा, बकरियां और उनके बधिये और बच्चे भी सम्मिलित हैं।

(2) ''कलेक्टर'' में ऐसे सब अधिकारी सम्मिलित हैं, जिन्हें प्रान्तीय सरकार ने इस ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकार दिये हों।

(3) ''जंगल'' से तात्पर्य किसी भी ऐसी भूमि से है, जिसे इस ऐक्ट के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार ने विज्ञप्ति द्वारा जंगल घोषित किया हो।

(4) ''जंगल सम्बन्धी अपराध'' से तात्पर्य किसी भी ऐसे अपराध से है, जो इस ऐक्ट के अधीन अथवा उसके बनाये गये किसी नियम के अधीन दंडनीय हो।

(3) ''जंगल'' से तात्पर्य किसी भी ऐसी भूमि से है, जिसे इस ऐक्ट के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार ने विज्ञप्ति द्वारा जंगल घोषित किया हो।

(4) ''जंगल सम्बन्धी अपराध'' से तात्पर्य किसी भी ऐसे अपराध से है, जो इस ऐक्ट के अधीन अथवा उसके बनाये गये किसी नियम के अधीन दंडनीय हो।

(5) ''जंगल के अधिकारी'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस ऐक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अथवा इस ऐक्ट की आवश्यकतानुसार अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन किसी जंगल के अधिकारी द्वारा किये जाने वाले किसी कार्य के करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियुक्त करे।

(6) ''जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी'' से तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है, जिसे इस ऐक्ट के अधीन किसी जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी के कार्य करने के लिये प्रान्तीय सरकार ने नियुक्त किया हो। वह साधारण तथा कोई रेवेन्यू अधिकारी होगा। प्रान्तीय सरकार इस ऐक्ट के अधीन किसी जंगल के बन्दोबस्त के लिये अधिक से अधिक 3 अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है, जिनमें से केवल एक जंगल अधिकारी होगा।

(7) ''जंगल की उपज'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी जंगल में पाई जाय अथवा वहां से लाई जायं –

(क) धरन, ईधन, कोयला, देशी रबर, लकड़ी का तेल (वुडऑयल), राल, गोंद, प्राकृतिक वार्निश, लाख, महुआ, कोलैंदी, आम, जामुन, चिरौंजी, कूट और हड़।

(ख) (1) वृक्ष और उनकी पत्तियां, फूल, फल, छाल तथा उनके समस्त अन्य भाग अथवा उनकी उपज, जिनका उल्लेख यहां नहीं किया गया है।

(2) पौधे, जो वृक्ष न हों, जिनमें घास, लता, नरकुल आदि सम्मिलित हैं और ऐसे पौधों के समस्त भाग अथवा उनकी उपज।

(3) जंगली जानवर और खाल, हाथी के दांत, सींग, हड्डियां, रेशम, रेशम के कौवे, शहद, मोम और जानवरों से प्राप्त होने वाले अन्य पदार्थ।

(4) प्राकृतिक अपूर्ण पत्थर का कोयला (Peat), धरातल की मिट्टी और चट्टान।

(8) ''वृक्ष गिराने का अनुमति–पत्र (Permit)'' से तात्पर्य किसी वृक्ष गिराने की अनुमति–पत्र से है, जिसे इस ऐक्ट की धारा 6 के अधीन जंगल के अधिकारी ने दिया हो।

(9) ''वृक्ष गिराने के लाइसेंस'' से तात्पर्य किसी वृक्ष गिराने के लाइसेंस से है, जिसे इस ऐक्ट की धारा 12 के अधीन जंगल के अधिकारी ने जंगल के मालिक को दिया हो।

(10) ''जंगल के मालिक'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसे उस धरती अथवा जोत पर अधिकार हो, जिनमें जंगल अथवा परती हों अथवा जो जंगल एवं परती में किसी भी प्रकार के अधिकार का प्रयोग कर सकता हो।

(11) ''स्वामी'' में कोई भी भोगबंधक लेने वाला, पट्टेदार, साधारण मैनेजर, किसी अधिकार–प्राप्त (काम्पिटेन्ट) अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर और ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसके पास धरोहर के रूप में कोई सम्पत्ति हो और इसमें कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जिनके प्रबन्ध अथवा चार्ज में ऐसी कोई सम्पत्ति हो, सम्मिलित है।

(12) ''विज्ञप्ति'' से तात्पर्य किसी ऐसी विज्ञप्ति से है, जो सरकारी गजट में इस ऐक्ट के अधीन प्रकाशित हो।

(13) ''विज्ञापित क्षेत्र'' से तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसका निर्देश इस ऐक्ट की धारा 4 के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में किया गया हो।

(14) ''विज्ञापित जंगल'' से तात्पर्य उस जंगल से है, जिसका निर्देश इस ऐक्ट की धारा 4 के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में किया गया हो।

(15) ''निजी जंगल'' से तात्पर्य किसी ऐसे जंगल से है, जो सरकार की संपत्ति न हो अथवा जिस पर सरकार का स्वामित्व या अधिकार न हो अथवा जिसकी समस्त अथवा आंशिक उपज की अधिकारिणी सरकार न हो।

(16) ''निर्धारित'' से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित से है।

(17) ''प्रान्तीय सरकार'' से तात्पर्य संयुक्त प्रान्त की सरकार से है।

(18) ''अधिकार प्राप्त व्यक्ति'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे प्रचलित रीत्यानुसार घर बनाने की लकड़ी, ईंधन और अन्य जंगली पैदावर को घरेलू और कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये किसी जंगल में काटने अथवा एकत्रित करने अथवा उसमें से हटाने और किसी जंगल में अपने पशुओं को चराने का अधिकार प्राप्त हो।

(19) ''नियम'' से तात्पर्य इस ऐक्ट के अधीन बनाये गये नियम से है।

(20) ''वृक्ष'' में धरन, वृक्ष, फलदायक वृक्ष, खजूर व ताड़ के वृक्ष, बांस के वृक्ष, वृक्षों के ठूंठ, घनी झाड़ियां, झाड़ियों का बाढ़ और बेंत के वृक्ष सम्मिलित हैं।

(21) ''धरन'' में वे वृक्ष सम्मिलित हैं, जो गिर गये हों अथवा गिराये गये हों और सारी लकड़ी सम्मिलित हैं चाहे वह काटी, बनायी, पोली की गयी हों या न की गयी हों।

(22) ''अधिकृत जंगल'' से तात्पर्य ऐसे जंगल से है, जिसकी व्यवस्था करने का अधिकार जंगल–अधिकारी को धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति द्वारा प्राप्त हो।

(23) ''परती भूमि'' से तात्पर्य उस भूमि से है, जिसे प्रान्तीय सरकार इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये परती भूमि घोषित करें।

(24) ''कार्य–योजना'' से तात्पर्य उस लिखित योजना से है, जो किसी जंगल के प्रबन्ध और कार्य–संचालन के सम्बन्ध में हो।

(25) ''वर्ष'' से तात्पर्य पहली अप्रैल से आरम्भ और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

ऐक्ट नं0 16 1927 ई0

(26) वे शब्द और वाक्यांश, जो इस ऐक्ट में व्यवहृत किये गये हैं और जिनकी परिभाषा इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 ई0 में की गई है और जिनको परिभाषा इस ऐक्ट में नहीं की गयी है, उनके क्रमशः वही अर्थ होगा, जो इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 ई0 में लगाये गये हैं।

अध्याय 2

किसी विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल में प्रबन्ध और अधिकारों के उपयोग करने की साधारण व्यवस्था

वृक्ष काटने का निषेध करने का अधिकार

4–विज्ञप्ति द्वारा और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो जंगल के अधिकारी द्वारा नियत किये जाये, प्रान्तीय सरकार किसी क्षेत्र अथवा जंगल को विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल घोषित कर सकती है और ऐसे क्षेत्र अथवा जंगल में वृक्षों को काटने का निषेध कर सकती है।

5–यदि किसी जंगल के मालिक को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, जिसको प्रचलित कानून के अधीन तैयार किये गये स्वत्यों के विवरण (रिकॉर्ड ऑफ राइट) में धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल में वृक्ष, धरन अथवा जंगल को अन्य उपज काटने, एकत्रित करने, हटाने अथवा पशुओं को चराने के अधिकार प्राप्त हों, तो भी इन अधिकारों का प्रयोग इस ऐक्ट अथवा इसके अधीन बनाये गये आदेशों तथा नियमों का उल्लंघन करके न किया जायेगा।

विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल के सम्बन्ध में ऐसे अधिकार जिनका उपयोग इस ऐक्ट के अनुसार किया जायगा

6–किसी विज्ञापित क्षेत्र अथवा विज्ञापित जंगल में यदि किसी व्यक्ति को वृक्ष, ईधन अथवा धरन काटने, एकत्रित करने अथवा वहां से हटाने का अधिकार हो, तो घरेलू अथवा कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये जंगल का अधिकारी उचित प्रतिबन्ध के साथ वृक्ष गिराने का अनुमति–पत्र साधारणतया प्रदान करेगा, परन्तु ऐसे अनुमति–पत्र के बिना इस अधिकार का उपयोग न किया जायेगा।

घरेलू अथवा कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये धरन इत्यादि एकत्रित करने अथवा हटाने के अधिकारों पर प्रतिबन्ध

7– कोई व्यक्ति, जिसे खेती के प्रयोजनों के लिये किसी विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल में किसी भूमि को कृषि–योग्य बनाने का अधिकार हो, ऐसे विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल का मालिक, सिवाय उन प्रतिबन्धों के अनुसार, जिन्हें जंगल के अधिकारी निर्धारित करें, खेती के प्रयोजनों के लिये उस भूमि में से कोई भूमि फिर से कृषि–योग्य न बनायेगा।

खेती के प्रयोजनों के लिये जंगल को फिर कृषि–योग्य बनाने के अधिकारों पर प्रतिबन्ध

8–कोई व्यक्ति, जिसके पास वृक्ष गिराने का अनुमति–पत्र हो, किसी विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल में भूमि से 6 इंच की ऊँचाई से अधिक ऊँचाई पर कोई वृक्ष अथवा एक वर्ष से कम अवस्था वाला बांस का कोई तना न काटेगा।

ऊँचाई जिस पर वृक्ष काटे जायें और बाँस के तनों की अवस्था जब वे काटे जायें

9–कोई व्यक्ति, जिसने कोई धरन या लकड़ी विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल में मकान बनाने की लकड़ी काटने के अधिकार का प्रयोग करके प्राप्त किया है, उसे न बेचेगा और न हस्तान्तरित करेगा सिवाय निम्नलिखित के–

कुछ व्यक्ति ऐसी धरन न बेचेंगे और न उसे हस्तान्तरित करेंगे, जो किसी जंगल में काट कर ली गयी है

(1) जंगल का मालिक,

(2) जंगल के मालिक द्वारा अधिकृत व्यक्ति,

(3) जंगल के अधिकारी द्वारा इस ऐक्ट के अधीन आदेशों तथा नियमों के अनुसार अधिकृत व्यक्ति।

10–कोई जंगल का मालिक, कोई पट्टेदार अथवा अन्य व्यक्ति, जिसे जंगल के मालिक से धरन अथवा जंगल की उपज लेने का अधिकार प्राप्त है, किसी विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल में वृक्षों, धरनों अथवा जंगल को अन्य उपज को न काटेगा अथवा वहां से न हटायेगा अथवा किसी व्यक्ति के काटने की अथवा हटाने की ऐसा स्वीकृति न देगा। जिससे अधिकार–प्राप्त व्यक्ति ऐसे परिणाम से वंचित हो जायं, जिसको प्राप्त करने की स्वीकृति उक्त विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल में उनके अधिकारों के उपयोग के सम्बन्ध में नियमों द्वारा दी गई है।

जंगल का मालिक अथवा जंगल के मालिक द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के धरन अथवा जंगल की पैदावार काटने और हटाने के अधिकार पर प्रतिबन्ध

11–कोई व्यक्ति रीत्यानुसार अथवा अन्य अधिकार का उपयोग करते हुए किसी ऐसे विज्ञापित क्षेत्र अथवा जंगल में किसी पशु को न चरायेगा अथवा न चरवायेगा, जिसका कि वह स्वामी न हो।

पशुओं को चराने के अधिकार पर प्रतिबन्ध

12–जंगल के अधिकारी को अधिकार होगा कि किसी जंगल के मालिक के प्रार्थना–पत्र पर ऐसे प्रयोजनों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, वृक्षों के गिराने का लाइसेन्स दे और तब जंगल के मालिक को अधिकार होगा कि वह वृक्ष गिराने के लाइसेन्स के प्रतिबन्धों के अनुसार वृक्ष गिराने का कार्य करे।

वृक्ष गिराने का लाइसेंस का देना

13–(1) जंगल का अधिकारी किसी विज्ञापित जंगल के स्वामी को आदेश दे सकता है कि वह उस जंगल की व्यवस्था के लिये किसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कोई कार्य–योजना तैयार करे।

किसी स्वीकृत कार्य योजना के अधीन किसी स्वामी द्वारा जंगल की व्यवस्था

(2) ऐसे विज्ञापित जंगल का स्वामी या तो स्वयं कार्य–योजना तैयार कर सकता है अथवा जंगल के अधिकारी से प्रार्थना कर सकता है कि वह उसकी (स्वामी की) ओर से कार्य–योजना तैयार करे।

(3) जंगल का अधिकारी ऐसी प्रत्येक कार्य–योजना पर विचार करने के पश्चात्, जो उसके पास भेजी जाय, किसी लिखित आज्ञा द्वारा ऐसी कार्य–योजना को ऐसे ढंग के अनुसार स्वीकार अथवा संशोधित कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे अथवा उसके स्थान पर दूसरी कार्य–योजना रख सकता है।

(4) यदि ऐसे विज्ञापित क्षेत्र का कोई स्वामी उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अवधि में कार्य–योजना प्रस्तुत न करें, अथवा यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि में जंगल के अधिकारी से अपने लिये एक कार्य–योजना तैयार करने के लिये प्रार्थना न करे, तो जंगल का अधिकारी उस जंगल के सम्बन्ध में कार्य–योजना तैयार का सकता है।

(5) जिन जंगलों के कार्य–संचालन से लाभ होगा उनके विषय में उपधारा (2) और (4) के अधीन कार्य–योजना तैयार करने का व्यय स्वामी उठायेगा और जिनमें हानि होगी उनका व्यय सरकार उठायेगी। उस दशा में जबकि स्वामी को व्यय देना हो, यदि स्वामी जंगल के अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर व्यय न दे सके, तो व्यय भू–आगम के शेष (मालगुजारी के बकाये) के समान वसूल किया जायेगा।

जंगल का प्रबन्ध

14–जंगल, जिसके लिये एक स्वीकृत कार्य–योजना हो, का प्रबन्ध स्वयं स्वामी उस कार्य–योजना में दिये हुए आदेशों के अनुसार ऐसे शिक्षित (ट्रेन्ड) कर्मचारियों की सहायता से, जिनको कार्य–योजना में निर्धारित किया हो तथा जंगल के अधिकारी के निरीक्षण में करेगा। जंगल के अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य–योजना में किसी परिवर्तन की आज्ञा न दी जायगी।

इस अध्याय के अधीन और अपराधों की सुनवायी और उनके दंड

15–(1) जो भी व्यक्ति इस अध्याय के आदेशों का उल्लंघन करता है अथवा जंगल के अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी स्वीकृत कार्य–योजना के आदेशों का पालन नहीं करता, उसको अर्थ–दण्ड दिया जायगा, जो पहले अपराध के लिये 100 रु0 से अधिक न होगा और दूसरे तथा बाद के किसी अपराध के लिये ऐसा अर्थ–दण्ड दिया जायगा, जो 1,000 रु0 से अधिक न होगा अथवा उसे साधारण कारावास का दंड दिया जायगा, जो 3 मास से अधिक न होगा अथवा उसे दोनों प्रकार के दंड दिये जायेंगे।

(2) इस धारा के अधीन अपराध की सुनवायी द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का मैजिस्ट्रेट कर सकेगा और इस धारा के अधीन कार्यवाही उस विज्ञापित क्षेत्र का जंगल के, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अपराध किया गया है, (1) जंगल के मालिक द्वारा अथवा (2) अधिकार–प्राप्त व्यक्ति द्वारा अथवा (3) जंगल के अधिकारी द्वारा अथवा (4) ऐसे अधिकारी द्वारा अभियोग लगाने पर, जिसे इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार में विशेष रूप से अधिकार दिया हो, की जायगी।

(3) जब इस धारा के अधीन किसी अपराध में किसी व्यक्ति को दंड मिला हो, वृक्ष, धरन, लकड़ी या जंगल की उपज, जिनके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, जब्त की जा सकती है। यदि उसने वृक्षों, लकड़ी या जंगल की ऐसी उपज को नष्ट कर दिया है या उसका अनुचित उपयोग कर लिया है या किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर दिया है, तो उसका मूल्य उपधारा (1) के अधीन लगाये हुये अर्थदण्ड के समान उससे वसूल किया जा सकता है।

(4) नियमों के अनुसार, यदि कोई हों, कलेक्टर इस धारा के अधीन जब्त किये हुए वृक्ष, धरन या अन्य जंगल की उपज की समुचित व्यवस्था कर देगा।

———————

अध्याय 3

अधिकृत जंगल

अधिकृत जंगल बनाने का अधिकार

16–(1) यदि प्रान्तीय सरकार किसी भी समय इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि किसी विज्ञापित क्षेत्र या जंगल की उचित रक्षा के लिये इस ऐक्ट के अध्याय 2 के आदेश पर्याप्त नहीं हैं या नहीं रहे हैं या कि सार्वजनिक हित में आवश्यक हैं कि इस अध्याय के

आदेश किसी भी निजी क्षेत्र या जंगल पर लागू किये जाये, चाहे वह क्षेत्र या जंगल कोई विज्ञापित क्षेत्र या जंगल हो या न हो, तो वह उस प्रकार से, जिसकी व्यवस्था नीचे की जाती है, ऐसे जंगल या क्षेत्र को अधिकृत जंगल बना सकती है।

(2) यदि जंगल के किसी अधिकारी की रिपोर्ट से यह प्रतीत हो कि कोई परती भूमि, जिसका क्षेत्रफल 50 एकड़ से कम न हो, 7 वर्ष से अधिक समय से बिना जोती पड़ी है और जंगल लगाने के लिये उपयुक्त है, और यह कि उस भूमि का स्वामी जंगल के अधिकारी की इच्छा के अनुकूल नहीं है, उसमें खेती करने, जंगल अथवा बाग लगाने के लिये इच्छुक नहीं है अथवा असमर्थ है, तो प्रान्तीय सरकार अपने को यह सन्तुष्ट करने के पश्चात् कि वह भूमि, जंगल लगाने की अपेक्षा कृषि करने के अथवा बाग के लिये सलाभ प्रयोग नहीं की जा सकती है, ऐसी परती भूमि को निम्नलिखत व्यवस्था के अनुसार अधिकृत जंगल बना सकती है–

प्रान्तीय सरकार द्वारा विज्ञप्ति

17–(1) यदि प्रान्तीय सरकार किसी क्षेत्र को, चाहे वह निजी जंगल हो या परती भूमि हो, अधिकृत जंगल बनाने का प्रस्ताव करे, तो प्रान्तीय सरकार एक विज्ञप्ति निकालेगी, जिसमें :–

(क) यह घोषणा होगी कि इस क्षेत्र को अधिकृत जंगल बनाने का प्रस्ताव है,

(ख) ऐसे क्षेत्र की स्थिति तथा सीमाओं के सम्बन्ध में यथासम्भव पूर्ण विवरण दिया जायेगा, और

(ग) यह दिया हुआ होगा कि कोई भी जंगल या परती भूमि का मालिक, जिसके हितों पर, यदि ऐसा क्षेत्र अधिकृत जंगल बना दिया जाय, प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, तो ऐसी अवधि के भीतर, जो विज्ञप्ति के दिनांक से तीन मास से कम न होगी और जो विज्ञप्ति में दी हुई होगी, कलेक्टर के समक्ष ऐसे क्षेत्र को अधिकृत जंगल बनाने के सम्बन्ध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(2) इसकी एक प्रति निर्धारित ढंग पर जंगल या परती भूमि के मालिक को भेज दी जायगी।

स्पष्टीकरण–वाक्यखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र की सीमाओं को सड़कों, नदियों, टोलों या दूसरे प्रख्यात या सुगमतापूर्वक समझी जाने वाली सीमाओं से निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त होगा।

आपत्तियों की सुनवायी

18–(1) धारा 17 के वाक्यखंड (ग) के अधीन की हुई आपत्ति की सुनवायी कलेक्टर निर्धारित ढंग से करेगा और आज्ञा द्वारा यह आदेश देगा कि–

(क) या तो आपत्ति को खारिज कर दिया जाय, अथवा

(ख) उक्त क्षेत्र के अधिकृत जंगल बनाने के अप्रस्ताव को आज्ञा में दिये हुए विवरण के अनुसार पूर्ण अथवा आंशिक रूप में त्याग दिया जाय।

(2) कोई भी जंगल का मालिक, जंगल का अधिकारी अथवा ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में सामान्य अथवा विशेष रूप से अधिकार दिया हो, जो उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर द्वारा दी हुई आज्ञा से पीड़ित हो, तो वह प्रान्तीय सरकार को निर्णय दुहराने के लिये प्रार्थना–पत्र दे सकता है। ऐसी दशा में प्रान्तीय सरकार की आज्ञा अन्तिम होंगी।

(3) यदि धारा 17 के वाक्यखंड (ग) के अधीन कोई आपत्ति नहीं की जाती या यदि आपत्ति की जाती है, किन्तु अन्त में इस धारा के आदेशों के अनुसार समाप्त कर दी

जाती है और प्रान्तीय सरकार उस दशा में, जबकि उसके विचार में धारा 17 के अधीन निकाली हुई विज्ञप्ति के अन्तर्गत क्षेत्र को अधिकृत जंगल बनाना उचित है, तो प्रान्तीय सरकार विज्ञप्ति निकाल सकती है, जिसमें –

(क) यह घोषणा होगी कि उस क्षेत्र को अधिकृत जंगल बना देने का निश्चय कर लिया गया है;

(ख) उस क्षेत्र की स्थिति तथा सीमाओं के सम्बन्ध में यथासम्भव पूर्ण विवरण होगा, और

(ग) जंगल के बन्दोबस्त का एक अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जो जंगल के मालिक के स्वत्वों के अतिरिक्त ऐसे अन्य स्वत्वों के अस्तित्व, स्वरूप तथा विस्तार की, जिनके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वे ऐसी सीमाओं के भीतर स्थित किसी क्षेत्र में अथवा उस पर या जंगल की उपज में अथवा उस पर किसी व्यक्ति को प्राप्त हैं, जांच तथा निर्णय करेगा एवं उनके सम्बन्ध में इस अध्याय में दी हुई व्यवस्था के अनुसार उचित कार्यवाही करेगा।

(4) उपधारा (3) के वाक्यखंड (ग) के अधीन नियुक्त जंगल के बन्दोबस्त का अधिकारी, निर्धारित ढंग से, जंगल के मालिक को उस वाक्यखंड में उल्लिखित जांच में सुनवायी का अवसर देगा।

जंगल बन्दोबस्त के अधिकारी द्वारा घोषणा

19–जब धारा 18 को उपधारा (3) के अधीन विज्ञप्ति निकाली जा चुकी हो, तो जंगल के बन्दोबस्त का अधिकारी उसमें दिये हुये क्षेत्र के आस–पास के हर गांव और कस्बे में हिन्दी भाषा में एक घोषणा, प्रकाशित करेगा, जिसमें–

(क) प्रस्तावित क्षेत्र की स्थिति तथा सीमाओं के संबंध में यथासम्भव पूर्ण विवरण दिया जायेगा।

(ख) उन परिणामों की व्याख्या की जायगी, जो उस क्षेत्र के जंगल बनाये जाने पर उत्पन्न होंगे।

(ग) अवधि नियत होगी, जो ऐसी घोषणा के दिनांक से 3 मास से कम न होगी और जिसमें ऐसे हर व्यक्ति के लिये, जो धारा 18 की उपधारा (3) में उल्लिखित किसी स्वत्व का, जंगल के मालिक के स्वत्वों के अतिरिक्त, अपने को अधिकारी समझता है, आवश्यक होगा कि वह उस अवधि के भीतर या तो जंगल के अधिकारी को इस सम्बन्ध में एक लिखित सूचना दे या उसके सम्मुख उपस्थित हो और बताये कि ऐसे स्वत्व का स्वरूप क्या है, उसकी क्षति की, यदि कोई है, पूर्ति किस प्रकार और कितने द्रव्य से हो सकती है।

जंगल के बन्दोबस्त की अधिकारी द्वारा जांच

20–जंगल के बन्दोबस्त का अधिकारी ऐसे सब बयानों को लिखेगा, जो धारा 19 के अधीन दिये गये हों और किसी उपयुक्त स्थान पर उस धारा के अधीन यथोचित किये गये सब मांगों की तथा धारा 18 की उपधारा (3) में उल्लिखित जंगल के मालिक के स्वत्वों के अतिरिक्त, किसी भी स्वत्व के अस्तित्व की, जिसकी मांग धारा 19 के अधीन नहीं की गई है, जांच करेगा, जहां तक कि वह सरकारी लेख–पत्रों तथा किसी ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य से, जो सम्भवतः उससे परिचित हों, निश्चित की जा सकती है।

जंगल के बंदोबस्त के अधिकारी के अधिकार

21–ऐसे जंगल के प्रयोजनों के लिये जंगल के बन्दोबस्त का अधिकारी निम्नलिखित अधिकारों का उपयोग कर सकता है, अर्थात् –

(क) किसी भूमि में प्रवेश करने, निरीक्षण करने, सीमा निर्धारित करने एवं उसके मानचित्र बनाने के लिये स्वयं अथवा दूसरे किसी अधिकारी को अधिकृत करने का अधिकार, और

(ख) दावों की सुनवाई के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय के अधिकार।

चराई या जंगल की उपज के अधिकारी होने के दावे पर आज्ञा

22–चराई का जंगल की उपज का अधिकारी होने की मांग करने की दशा में, जंगल के बन्दोबस्त का अधिकारी धारा 23 और 24 के आदेशों के अनुसार, मांग पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की आज्ञा देगा।

विधि जिसके अनुसार जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी को आज्ञा देना चाहिये

23–(1) जंगल के बन्दोबस्त का अधिकारी धारा 22 के अधीन आज्ञायें देते समय–

(क) अधिकार प्राप्त व्यक्ति के नाम, उसके पिता का नाम, उसके निवास–स्थान तथा उसकी जीवन–वृत्तियों की एक सूची तैयार करेगा;

(ख) यह निश्चित करेगा कि धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन घोषित जंगल की धरन तथा अन्य उपज का कौन सा अंश अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों को दिया जाय।

(ग) यह निश्चित करेगा कि अधिकार–प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को कुल कितनी धरन तथा जंगल की अन्य उपज पाने का अधिकार है;

(घ) उन पशुओं की, यदि कोई हों, संख्या तथा विवरण निर्णय करेगा, जिनको समय–समय पर उस क्षेत्र में और उस ऋतु में जबकि ऐसी चराई की अनुमति हो, प्रार्थी को चराने का अधिकार है।

(ङ) अधिकार–प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में उस क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी सामर्थ्य पर विचार करेगा।

(2) यह निश्चय करने के लिये कि अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों को धरन तथा जंगल की उपज का कौन सा अंश दिया जायगा, जंगल के बन्दोबस्त का अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा –

(क) उस समय प्रचलित कानून के अधीन तैयार किये हुए तथा अंतिम रूप से प्रकाशित स्वत्वों के विवरण (रिकार्ड ऑफ राइट) में अंकित बातों तथा उस कानून के अनुसार उन बातों का महत्व,

(ख) जंगल ऐसी उपज को ध्यान में रखेगा, जो कि अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों ने ईंधन अथवा दूसरे घरेलू अथवा कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन घोषित क्षेत्र से ले ली है,

(ग) ऐसे प्रयत्नों को, जो जंगल के मालिक अथवा अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों ने उक्त जंगल को सुरक्षित रखने अथवा उक्त परती भूमि को उपयोगी बनाने के लिये समय–समय पर किये हों।

(घ) ऐसी कोई दूसरा चीज, जो यह प्रकट करे कि उक्त क्षेत्र में जंगल के मालिक तथा अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों के क्रमानुसार क्या अधिकार है, और

(ङ) भूमि, जो धारा 18 को, उपधारा (3) के अधीन घोषित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है और जो अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों के अधिकारों का उपयोग करने के लिये अब भी प्राप्त है।

किसी जंगल की सुरक्षा के लिये आवश्यकता पड़ने पर अधिकार का स्थगित किया जाना

24–यदि धारा 22 के अधीन आज्ञा देते समय जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी का यह मत हो कि उस सम्बन्धित जंगल को सुरक्षा अथवा परती भूमि को उपयोग में लाने के लिये ऐसा आवश्यक है, तो वह उन अधिकारों का, जिन्हें प्रार्थी ने सिद्ध कर दिया है, उपयोग करने की आज्ञा न दे करके यह आदेश दे सकता है कि ऐसा अधिकार का उपयोग ऐसी अवधि के लिये और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ, जो उस आज्ञा में दी हुई हों, पूर्णतः अथवा अंशतः स्थगित कर दिया जाय, किन्तु जंगल के अधिकारी के लिये पशुओं के चरन के लिये उचित प्रबन्ध करना आवश्यक होगा।

अधिकारों का अन्त

25–ऐसे अधिकारों का (जंगल के मालिक के अधिकारों के अतिरिक्त), जिनके सम्बन्ध में धारा 19 के अन्तर्गत कोई दावा न प्रस्तुत किया गया हो और जिनके अस्तित्व के सम्बन्ध में धारा 20 के अन्तर्गत की गई जांच–पड़ताल के समय में कोई बात ज्ञात नहीं हुई हो, अन्त हो जायगा, जब तक कि धारा 32 के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाली विज्ञप्ति के पूर्व वह व्यक्ति, जो उनका दावा करता है, जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट न कर दे कि धारा 19 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर दावा प्रस्तुत न करने के लिये उसके पास पर्याप्त कारण थे।

और अधिक प्रतिज्ञा (मुहाइदा) की मनाही

26–धारा 17 के अन्तर्गत किसी विज्ञप्ति के निकलने के पश्चात् उस जंगल का अथवा ऐसी विज्ञप्ति में दिये हुए किसी क्षेत्र का मालिक किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रतिज्ञा (मुहाइदा) न करेगा, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र के धरन अथवा जंगल को उपज या वृक्ष काटने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार दिया गया हो और ऐसी प्रतिज्ञा, जो उक्त विज्ञप्ति के पश्चात् की जायगी, अवैध होगी :

किन्तु यदि उस क्षेत्र को अधिकृत जंगल का रूप देने का प्रस्ताव त्याग दिया जाय अथवा उक्त क्षेत्र को अन्ततः अधिकृत जंगल बना दिया जाय, तो यह प्रतिबन्ध, उक्त ऐक्ट के अन्य आदेशों में बाधक हुये बिना समाप्त हो जायगा।

वृक्षों के काटने की मनाही

27–(1) धारा 17 के अन्तर्गत किसी विज्ञप्ति के निकालने के समय अथवा उसके पश्चात किसी समय प्रान्तीय सरकार आदेश निकाल कर उस दिनांक तक के लिये, जब तक कि धारा 32 के अन्तर्गत कोई विज्ञप्ति न निकले और उक्त आदेश में निर्धारित अपवादों और प्रतिबन्धों के साथ उस क्षेत्र में, जिसके सम्बन्ध में ऐसी विज्ञप्ति निकली हो, किन्हीं वृक्षों अथवा किसी श्रेणी के वृक्षों को काटने, एकत्रित करने या हटाने की मनाही कर सकती है। किसी प्रतिज्ञा (मुहाइदा) अथवा स्वत्वों के विवरण–पत्र (रिकॉर्ड आफ राइट) में कोई प्रतिकूल न बात होते हुए भी यह आज्ञा लागू होगी।

किन्तु यह आदेश किसी ऐसे क्षेत्र में लागू नहीं होगा, जिसे अधिकृत जंगल के रूप देने का प्रस्ताव त्याग दिया गया हो।

(2) हर ऐसा आदेश उस क्षेत्र के पास–पड़ोस में निर्दिष्ट ढंग पर प्रकाशित किया जायगा।

(3) धारा 15 हर ऐसे व्यक्ति पर लागू होगी, जो उपनियम (1) के अधीन किसी आज्ञा का उल्लंघन करे।

जंगल के ठेकेदारों के दावों के निर्णय करने की कार्यविधि

28–(1) यदि कोई व्यक्ति जंगल के मालिक के साथ किये गये किसी प्रतिज्ञा (मुहाइदा) की धारा 17 के अन्तर्गत निकली किसी विज्ञप्ति के पूर्व अथवा उसके द्वारा प्रदान किये गये किसी दान–पत्र की शर्तों के अनुसार धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत घोषित किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग में, किसी जंगल की उपज को काटने, एकत्रित करने, हटाने अथवा उसमें पशुओं को चराने के अधिकारी हो का दावा करे या अपने अधिकार के क्षीण अथवा नष्ट हो जाने के लिये प्रतिकर पाने का दावा करे, तो जंगल के बन्दोबस्त अधिकारी अपना सम्मति के अनुसार निश्चय करेंगे कि प्रार्थी को कितनी प्रतिकर की धनराशि मिलनी चाहिये और आज्ञा देंगे कि उपधारा (3) के आदेशों के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत यदि प्रतिकर (मुआवजा) की धनराशि निश्चित हुई, तो प्रार्थी को दी जावे।

(2) प्रार्थी को दी जाने वाली प्रतिकर की धनराशि (मुआवजा का रकम) को नियत करने में बन्दोबस्त अधिकारी निम्नांकित का विचार करेंगे, किसी अन्य बात का नहीं, अर्थात् –

(क) प्रार्थी द्वारा जंगल के मालिक को भुगतान किया गया रुपया,

(ख) भुगतान यथोचित तथा शुभइच्छा (नैकनियती) से किया गया था या नहीं,

(ग) जंगल के मालिक के दिये हुए किसी प्रतिज्ञा अथवा दान–पत्र के अन्तर्गत प्रार्थी के अधिकारों के प्रयोग से धारा 7 के आदेशों का उल्लंघन हुआ अथवा होने की सम्भावना है या नहीं,

(घ) वृक्ष, धरन, अन्य जंगल की उपज काटने, एकत्रित करने अथवा हटाने में प्रार्थी ने उचित रूप से जो व्यय किया हो,

(ङ) प्रार्थी द्वारा अथवा उसकी अनुमति से काटे गये, एकत्रित किये गये अथवा हटाये गये वृक्षों धरन अथवा दूसरी जंगल की उपजों के प्रतिकर की धनराशि।

(3) जंगल के बन्दोबस्त अधिकारी, प्रतिकर की धनराशि दिये जाने के स्थान पर यह आदेश दे सकते हैं कि प्रार्थी को उस क्षेत्र से ऐसी मात्रा में धरन अथवा दूसरी जंगल की उपज काटने, एकत्रित करने अथवा हटाने की अनुमति रहेगी, जो मूल्य में उस धनराशि से अधिक न हो, जिसे जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी ने उपधारा (1) के अन्तर्गत नियत किया हो।

(4) सिवाय उस विधि के अनुसार उन समयों पर और उक्त क्षेत्र के ऐसे भागों से, जिसे जंगल के अधिकारी द्वारा निकाली गई आज्ञा में अथवा नियमों में निर्धारित किया हो, प्रार्थी धरन अथवा दूसरी जंगल की उपज को न काटेगा, न एकत्रित करेगा और न हटायेगा।

(5) जंगल के अधिकारी को यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि कब प्रार्थी ने उपधारा (3) में वर्णित कुल मूल्य के बराबर वृक्ष, धरन अथवा दूसरी जंगल की उपज काट लिया, एकत्रित कर लिया अथवा हटा लिया। जंगल के अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा जब तक कि सम्बन्धित कन्ज़रवेटर ऑफ फारेस्ट पुनर्विचार द्वारा दूसरी आज्ञा न दे।

धारा 22, 24 अथवा 28 के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओं के सम्बन्ध में करूण–पुकार (अपील)

29–कोई भी व्यक्ति, जिसने धारा 19 अथवा 28 के अन्तर्गत कोई प्रार्थना की हो या दावा किया हो अथवा कोई जंगल का अधिकारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रांतीय सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य अथवा विशिष्ट रूप से अधिकृत किया गया हो, जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी द्वारा धारा 22, 24 अथवा 28 के अन्तर्गत दी गई आज्ञा से पीड़ित हो, तो ऐसी आज्ञा के 3 मास के भीतर निर्धारित अधिकारी के पास ऐसी आज्ञा के विरुद्ध करूण–पुकार (अपील) कर सकता है।

धारा 29 के अन्तर्गत करूण–पुकार (अपील)

30–(1) धारा 29 के अन्तर्गत की जाने वाली प्रत्येक करूण–पुकार (अपील) लिखित प्रार्थना–पत्र द्वारा की जायगी और वह जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी को दी जा सकती है, जो उसे उस धारा में उल्लिखित निर्धारित अधिकारी के पास अविलम्ब प्रेषित करेंगे।

(2) जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी के पास से आई हुई करूण–पुकार (अपील) की सुनवाई उस विधि से की जायेगी, जो सम्प्रति माल के न्यायालय में करूण–पुकारों (अपीलों) की सुनवाई के लिये नियत है।

(3) करूण–पुकार (अपील) पर निर्णय अन्तिम होगा जब तक प्रान्तीय सरकार पुनर्विचार करने पर दूसरी आज्ञा न दे।

वकील इत्यादि

31–प्रांतीय सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने कोई प्रार्थना की हो अथवा इस ऐक्ट के अन्तर्गत कोई आपत्ति उपस्थित की हो, किसी व्यक्ति को इस ऐक्ट के अन्तर्गत, जांच–पड़ताल, सुनवाई अथवा करूण–पुकार (अपील) के प्रसंग में कलेक्टर अथवा जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी अथवा अपीलांट अदालत के सम्मुख सरकार या उस व्यक्ति की ओर से उपस्थित होकर वाद–विवाद करने अथवा कार्य करने के लिये, नियुक्त कर सकती या कर सकता है।

किसी क्षेत्र को अधिकृत जंगल घोषित करने की विज्ञप्ति

32–(1) जब निम्नांकित बातें हो चुकी हों, अर्थात् :–

(क) धारा 19 के अन्तर्गत प्रार्थना या दावा करने की नियत अवधि बीत चुकी हो और धारा 19 और 28 के अन्तर्गत किये गये समस्त प्रार्थना या दावों का (यदि कोई हुए हों) जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी ने निर्णय कर दिया हो, और

(ख) यदि कोई प्रार्थना या दावे किये गये हों, और ऐसी प्रार्थनाओं और दावों पर दी गई आज्ञाओं के सम्बन्ध में करूण–पुकार (अपील) करने की धारा 29 के द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो और उन सभी करूण–पुकारों (अपीलों) (यदि कोई हों), पर निर्णय दिया जा चुका हो, जो ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत की गयी हों, प्रान्तीय सरकार सरकारी

गज़ट में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी, जिसमें अधिकृत जंगल बनाये जाने वाले क्षेत्र को स्पष्ट रूप से स्थापित किये गये अथवा अन्य प्रकार के सीमा–चिन्हों से, सीमायें निर्धारित की जायेंगी और यह घोषित किया जायगा कि उक्त क्षेत्र विज्ञप्ति द्वारा नियत दिनांक से अधिकृत जंगल होगा। इस नियत किये गये दिनांक से यह जंगल अधिकृत जंगल माना जायेगा :

किन्तु यदि किसी ऐसे क्षेत्र के विषय में, जिसके सम्बन्ध में धारा 17 के अन्तर्गत कोई विज्ञप्ति निकाली गई हो, प्रान्तीय सरकार यह निर्णय करे कि इस अध्याय में उल्लिखित जांच–पड़ताल कार्यक्रम तथा करूण–पुकारों (अपीलों) में इतना अधिक समय लग जायगा कि इस बीच में जंगल की रक्षा के लिये भय उत्पन्न हो जायगा, तो प्रान्तीय सरकार उक्त जांच–पड़ताल, कार्यक्रम अथवा करूण–पुकारों की समाप्ति तक के लिये उक्त क्षेत्र को अधिकृत जंगल घोषित कर सकती है, किन्तु धारा 26 और 27 के आदेशों को छोड़कर उस विज्ञप्ति मे कोई भी प्रचलित अधिकार न कम हो सकेंगे और न उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार द्वारा की गई घोषणा, धारा 18 में दी गयी किसी अन्तिम आज्ञा के दिनांक से, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि ऐसे क्षेत्र के अधिकृत जंगल बनाने का प्रस्ताव त्याग दिया जायेगा अथवा इस धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में की गई विज्ञप्ति के दिनांक से लागू नहीं रहेंगी।

जंगल के पास–पड़ोस में ऐसी विज्ञप्ति का प्रकाशन

33–जंगल का अधिकारी विज्ञप्ति द्वारा नियत दिनांक से पूर्व विज्ञप्ति की प्रतिलिपियों को जंगल के पास–पड़ोस के प्रत्येक नगर और गांव में प्रकाशित करायेगा।

अध्याय 4

अधिकृत जंगल का नियंत्रण तथा प्रबन्ध और जंगल के अधिकारियों के अधिकार

प्रान्तीय सरकार के हाथ में अधिकृत जंगलों का नियंत्रण तथा प्रबन्ध

34–प्रत्येक अधिकृत जंगल के नियंत्रण और प्रबन्ध का अधिकार प्रान्तीय सरकार को होगा।

अधिकृत जंगलों के लिये जंगल के अधिकारियों की नियुक्ति

35–विज्ञप्ति द्वारा एक या अधिक अधिकृत जंगलों अथवा उनके किसी निर्दिष्ट भाग के लिये प्रान्तीय सरकार किसी जंगल के अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।

जंगल के अधिकारियों को कुछ अधिकार देने के अधिकार

36–प्रान्तीय सरकार निम्नांकित अधिकारों में से कुछ अथवा समस्त अधिकार किसी जंगल के अधिकारी को दे सकती है :–

(क) किसी भूमि में प्रवेश करने और नाप–जोख करने, सीमा बनाने और मानचित्र बनाने का अधिकार,

(ख) जंगल–सम्बन्धी अपराधों को जांच–पड़ताल में साक्षियों के मौखक एवं लिखित बयान सुनने तथा उन्हें लेखबद्ध करने के अधिकार,

(ग) किसी साक्षी को बुलाने, लेख–पत्रों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को अनिवार्य रूप से उपस्थित कराने के लिये दीवानों न्यायालयों के अधिकार।

अधिकृत जंगलों की हदबन्दी

37–जंगल का अधिकारी, अधिकृत जंगल या उसके किसी विभाग की, जिसके लिये वह नियुक्त हो, सीमा ऐसे ढंग से निश्चित करेगा, जो उसे उस परिस्थिति में आवश्यक जान पड़े।

जंगल के मालिक को अधिकृत जंगल से धरन तथा अन्य वन उपज हटाने की अनुमति कहां तक दी जा सकती है

38–अधिकृत जंगल के लिये नियुक्त जंगल का अधिकारी, उस जंगल के लिये प्रस्तुत की हुई कार्य–योजनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उस जंगल के मालिक को उसमें से ऐसी मात्रा में वृक्ष, धरन अथवा अन्य जंगल की उपज काटने, एकत्रित करने अथवा हटाने की अनुमति देगा, जो उस जंगल के अधिकारी का सम्मति में उसकी कृषि अथवा घरेलू आवश्यकताओं के लिए उचित प्रतीत हों।

प्रान्तीय सरकार अधिकृत जंगल से होने वाली समस्त आय लेगी और उस पर होने वाले व्यय को भुगतान करेगी

39–प्रान्तीय सरकार अधिकृत जंगल के प्रबन्ध और कार्य–संचालन से हाने वाली समस्त आय को लेगी और जंगल के प्रबन्ध के कार्य–संचालन से हुये सम्पूर्ण व्यय का भुगतान करेगी। जंगल के मालिक को या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे व्यय के विरुद्ध, जिसे प्रान्तीय सरकार ऐसे प्रबन्ध या कार्य–संचालन के लिये आवश्यक समझती है, आपत्ति करने का अधिकार न होगा।

आय और व्यय के लेखे का रक्खा जाना

40–प्रान्तीय सरकार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी निर्धारित विधि के अनुसार प्रत्येक अधिकृत जंगल के प्रबन्ध और कार्य–संचालन में होने वाले आय–व्यय का लेखा रखेगा और वार्षिक लेखे का एक संक्षिप्त विवरण जंगल के मालिक को देगा।

अधिकृत जंगल के मालिक को भत्तों और उससे होने वाले विशुद्ध लाभों का भुगतान किया जाना

41–(1) प्रान्तीय सरकार अधिकृत जंगल के नियन्त्रण और प्रबन्ध की अवधि में उस क्षेत्र के मालिक को निम्नांकित निर्धारित अवधियों में भुगतान करेगी :–

(i) जंगल के सम्बन्ध में :–

(क) जंगल के अधिकारी द्वारा निर्णीत उस जंगल के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर, जैसा सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा जंगल के अधिकारी समय–समय पर निश्चित करे, प्रति एकड़ 4 आना से लेकर 8 आना की दर तक वार्षिक भत्ता।

(ख) उस जंगल के प्रबन्ध और कार्य–संचालन के होने वाले लाभ से, दशांश प्रान्तीय सरकार के भाग के रूप में काट कर शेष जंगल के मालिक को दिया जायगा।

(ii) परती :–

(क) कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(ख) जब प्रान्तीय सरकार द्वारा किसी ऐसी भूमि में जंगल लगाने के निमित्त किये गये समस्त व्यय हो जाये, तो ऐसी अवधि में जबकि ऐसी भूमि का नियंत्रण किसी जंगल के अधिकारी के अधिकार में रहा हो, जंगल लगाने का लाभ 1 : 9 के अनुपात में प्रान्तीय सरकार और उस जंगल के मालिक के बीच विभाजित किया जायेगा।

(2) लाभ निकालने के लिये, लेखा–जोखा प्रस्तुत करने वाले दिनांक तक, कार्य–संचालन एवं प्रबन्ध से प्राप्त आय एवं व्यय जोड़ लिया जायगा। यदि घटी पड़ती है, तो घटी प्रति वर्ष अगले वर्ष के लेखे–जोखे में बिना ब्याज लिये जोड़ दी जायेगी और यह क्रम चलता रहेगा जब तक लाभ न हो जाय।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिये–

(क) कुल व्यय में उपधारा (1) के वाक्यखंड (क) के अन्तर्गत जंगल के मालिक को दिया गया भत्ता और धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन निश्चित की गई प्रतिकर की धनराशि या उपधारा (3) के अन्तर्गत जंगल की किसी भी ली हुई वस्तु का मूल्य सम्मिलित होगा।

(ख) जंगल के मालिक के अतिरिक्त, अन्यकृत जंगल अपराधों में अपहृत (जब्त) वस्तुओं का मूल्य, कुल आय में सम्मिलित होगा और उसमें से निम्नलिखित निकाल दिये जायेंगे –

(1) भेदिये और अधिकारियों को दिया पारितोषिक, यदि कोई हो, और

(2) ऐसे आकस्मिक व्यय, जो जंगल का अधिकारी निश्चित करे और इसमें अपहृत (जब्त) को हुई जंगल को उपज एवं अन्य वस्तुओं के रखने, ढोने और बेचने का व्यय सम्मिलित है।

अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों द्वारा स्वत्वों का नियमानुकूल प्रयोग किया जाना

42–अधिकृत जंगलों में अधिकार–प्राप्त व्यक्ति अपने स्वत्वों का प्रयोग नियमों के अनुसार करेंगे।

प्रबन्ध के निमित्त जंगलों के समुदायीकरण (इकट्ठा) करना

43–जंगल का अधिकारी जंगलों का अधिक सुचारू प्रबन्ध एवं नियंत्रण करने की दृष्टि से आज्ञा दे सकता है कि उसके अधीन अधिकृत जंगल, जो एक या अधिक गांवों में हो तथा एक से अधिक जंगल मालिक के अधिकार में हों, उनका समुदायीकरण (इकट्ठा) कर दिया जाय।

समुदायीकरण की आज्ञा का लागू होना

44–(1) यदि जंगल के अधिकारी ने धारा 43 के अधीन अधिकृत जंगलों के समुदायीकरण कर देने की आज्ञा दी हो, तो वह निर्देश कर सकता है कि अधिकृत जंगल में अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों के स्वत्वों को ऐसे समुदाय (ग्रुप) के ऐसे भाग में प्रयोग किया जायेगा जैसा कि वह निर्दिष्ट करे।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत आज्ञा देते समय जहां तक सम्भव हो, अधिकृत जंगलों की सुचारू व्यवस्था और सुरक्षा को हानि पहुंचायें बिना जंगल का अधिकारी अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों के सुभीते का ध्यान रखेगा।

जंगल अधिकारी द्वारा अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों के स्वत्वों में परिवर्तन

45–यदि जंगल की उपज किसी साल में अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त न हो, तो जंगल का अधिकारी उन आवश्यकताओं के लिये ऐसी उपज के परिमाण को निर्णीत करेगा, जिसे प्रत्येक अधिकार–प्राप्त व्यक्ति नियमानुकूल ले सकता है।

अधिकृत जंगल के मुक्त कर देना

46–(1) प्रान्तीय सरकार कभी भी विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि विज्ञप्ति में उल्लिखित दिनांक से इस अध्याय के आदेश ऐसे अधिकृत जंगल पर लागू नहीं होंगे और उस दिनांक से वह जंगल अधिकृत जंगल नहीं रह जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से धारा 40 के अधीन तैयार किये गये आय–व्यय का लेखा यह प्रदर्शित करे कि ऐसे जंगलों के प्रबन्ध या कार्य–संचालन का व्यय प्रान्तीय सरकार को मिलना चाहिये, तो प्रान्तीय सरकार निर्धारित किये हुये सामान्य या विशेष नियमों के अनुसार इस व्यय का द्रव्य उस भूमि के स्वामी से वसूल कर लेगी।

अध्याय 5
दण्ड और कार्यक्रम

जंगल सम्बन्धी अपराध

47–कोई भी व्यक्ति, जो बिना जंगल के अधिकारी की लिखित आज्ञा के या इस ऐक्ट के किसी भी आदेश या किसी नियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये आदेश की अवज्ञा करके–

(क) किसी अधिकृत जंगल में किसी वृक्ष को गिरायेगा, उसके चारों ओर खाई बनायेगा, काटेगा, उसमें छेद करेगा, जलायेगा या उसकी छाल उतारेगा, पत्ता तोड़ेगा या किसी अन्य प्रकार से उसे हानि पहुँचायेगा, या

(ख) किसी अधिकृत जंगल में पत्थर खोदेगा, चूना या चारकोल बनायेगा या किसी अधिकृत जंगल से जंगल की उपज को एकत्रित करेगा या उससे कोई वस्तु निर्माण करने की कार्यवाही करेगा या उसे वहां से हटायेगा, या

(ग) किसी अधिकृत जंगल की किसी भूमि को कृषि के लिये या किसी अन्य उद्‌देश्य से तोड़ेगा या साफ करेगा, या

(घ) किसी अधिकृत जंगल में आग लगायेगा या आग को ऐसे जंगल के किसी भाग में फैलने से रोकने के लिये समस्त समुचित उपाय किये बिना आग जलायेगा, या

(ङ) किसी अधिकृत जंगल में पशुओं द्वारा किसी वृक्ष को हानि होने देगा,

उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है या अर्थ–दंड (जुर्माना) दिया जा सकता है, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों दंड दिये जा सकते हैं।

नियमों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

48–जो किसी ऐसे नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिये इस ऐक्ट में अन्य किसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नहीं है, तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, जो एक मास तक का हो सकता है या अर्थ–दण्ड दिया जा सकता है, जो एक सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

अपराध संबंधी सामान का पकड़ा जाना

49–(1) यदि यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि किसी जंगल की उपज के सम्बन्ध में कोई अपराध किय गया है, तो ऐसी उपज, सम्पूर्ण औज़ारों, नावों, पशुओं, गाड़ियों, मोटरों तथा अन्य साधनों के सहित, जो ऐसे अपराध करने के लिये उपयोग में लाये गये हों, यदि अधिकृत जंगल में पाये जाये, तो किसी भी जंगल के या पुलिस अधिकारी के द्वारा पकड़ी जा सकती हैं।

(2) प्रत्येक अधिकारी, जो इस धारा के अधीन कोई सामान पकड़ेगा, ऐसे सामान पर एक चिन्ह लगा देगा, जिससे यह सूचित होगा कि वह सामान पकड़ लिया गया है और जितनी जल्दी सम्भव हो इस प्रकार के सामान के पकड़े जाने की सूचना उस मैजिस्ट्रेट को देगा, जिसे उस अपराध को, जिसके कारण वह सामान पकड़ा गया है, निर्णय करने का अधिकार हो।

कार्य–विधि का ढंग

50–धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन कोई रिपोर्ट मिलने पर मैजिस्ट्रेट यथासम्भव शीघ्रता के साथ ऐसी कार्यवाही करेगा, जो अपराधों को पकड़ने और उस पर अभियोग चलाने या उसकी सुनवाई के लिये और पकड़े हुये माल की कानून के अनुसार उचित प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक हो।

धारा 49 के अधीन पकड़े हुए सामान को मुक्त करने का अधिकार

51–जंगल के अधिकारी को, जिसका पद रेंजर के पद से कम न हो और जिसने या जिसके अधीन किसी कर्मचारी ने धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन कोई औज़ार, नाव, पशु, गाड़ी मोटर तथा अन्य साधन पकड़े हों, अधिकार होगा कि उनके स्वामी द्वारा इस आशय का एक प्रतिज्ञा–पत्र लिखने पर मुक्त कर दें कि वह इस प्रकार मुक्त किये हुए सामान को जब उसे ऐसा करने की आज्ञा दी जायगी उस मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देगा, जिसे उस अपराध के, जिसके कारण वह सामान पकड़ा गया है, निर्णय का अधिकार प्राप्त हो।

वृक्ष, धरन, जंगल की उपज, औज़ार इत्यादि कब जब्त किये जा सकते हैं

52–(1) ऐसे सब वृक्ष, धरन, या जंगल की अन्य उपज, जिसके सम्बन्ध में कोई अपराध किया गया हो और ऐसे औज़ार, नाव, पशु, गाड़ी, मोटर तथा अन्य साधन, जो किसी जंगल–अपराध करने के उपयोग में लाये गये हों, जब्त किये जा सकते हैं।

(2) ऐसी ज़ब्ती किसी ऐसे अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकती है, जो ऐसे अपराध के लिये नियत किया गया हो।

जंगल–सम्बन्धी अपराध का मुकद्मा समाप्त होने पर उस सम्पत्ति का प्रबन्ध, जिसके लिये ऐसा अपराध किया गया था

53–जब किसी जंगल–सम्बन्धी अपराध की सुनवाई समाप्त हो जाये, तो किसी ऐसे वृक्ष, धरन या जंगल की किसी उपज की, जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया गया हो, यदि जब्त की गई हो, तो उसे जंगल–अधिकारी अपने अधिकारी में ले लेगा और किसी अन्य दशा में, उसका उस विधि से, जिसक आदेश न्यायालय नियमों के अधीन, यदि कोई हो, दे, समुचित प्रबन्ध कर दिया जायेगा।

कार्य विधि उस दशा में जब अपराधी ज्ञात न हो या उसका पता न चल सके

54–यदि अपराधी अज्ञात हो या उसका पता न चल सके, तो मैजिस्ट्रेट को, यदि वह निर्णय करे कि कोई अपराध किया गया है, अधिकार होगा, कि वह आज्ञा दे कि सामान, जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किया गया है, जब्त कर लिया जाये और जंगल–अधिकारी के चार्ज में दिया जाये या उस व्यक्ति को दिया जाय, जिसे मैजिस्ट्रेट उसके पाने का अधिकार समझे :

किन्तु ऐसी आज्ञा तब तक न दी जायेगी जब तक सामान के पकड़े जाने के दिनांक से एक महीना न बीत जाये या जब तक उस व्यक्ति की, यदि कोई हो, जो वह अपने अधिकार की पुष्टि में प्रस्तुत करें, सुनवायी न हो जाये।

धारा 49 के अधीन जब्त की गयी नष्ट होने वाली सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही

55–धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन पकड़ी हुई शीघ्रता तथा प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाली किसी भी सम्पत्ति को इसके पूर्व किसी विपरीत आदेश के होते हुए भी मैजिस्ट्रेट बेचने का आदेश दे सकता है और उसकी आय का प्रयोग उसी प्रकार कर सकता है, जिस प्रकार वह ऐसी सम्पत्ति के बेचे जाने पर करता।

धारा 52, 53, 54 के अधीन दिये हुए आदेशों के विरुद्ध करूण–पुकार (अपील)

56–कोई अधिकारी, जिसने धारा 49 के अधीन सम्पत्ति पकड़ी हो या उसका उच्च अधिकारी या कोई व्यक्ति, जो उस प्रकार पकड़ी हुई सम्पत्ति में अपना हक बतलाता है, धारा 52, 53 या 54 के अधीन दिये हुए किसी आदेश के दिनांक के एक महीने के भीतर रिहा किये जाने या सजा दिये जाने के, जैसी भी दशा हो, आदेश के विरुद्ध उस न्यायालय में करूण–पुकार (अपील) कर सकता है, जहां ऐसे मैजिस्ट्रेटों द्वारा दिये हुये आदेशों के विरुद्ध साधारणतया करूण–पुकार (अपील) की जाती है और ऐसी करूण–पुकार (अपील) पर जो आदेश दिया जायेगा वह अन्तिम होगा।

सम्पत्ति कब प्रान्तीय सरकार के अधिकार में आ जायेगी

57–यदि किसी सम्पत्ति के जब्त करने के लिये धारा 52 या धारा 54 के अधीन, जैसी भी दशा हो, आदेश दिया गया हो और ऐसे आदेश के विरुद्ध करूण–पुकार (अपील) करने की अवधि, जो धारा 56 के अधीन नियत की गई हो, समाप्त हो गई हो और करूण–पुकार (अपील) न की हो या करूण–पुकार (अपील) किये जाने पर करूण–पुकार (अपील) की न्यायालय ने ऐसी सम्पत्ति के पूर्ण या कुछ अंश के जब्त करने के सम्बन्ध में आदेश की पुष्टि कर दी हो, तो ऐसी सम्पत्ति या उसका कुछ अंश, जैसी भी दशा हो, समस्त भार से मुक्त होकर प्रान्तीय सरकार के अधिकार में आ जायेगी, सिवाय उस दशा में जब धारा 41 की उपधारा (3) (घ) में उसके विपरीत कोई आदेश दिये गये हों।

जब्त की हुई सम्पत्ति को मुक्त करने के अधिकार के सम्बन्ध में अपवाद

58–इसके पूर्व किसी विपरीत आदेश के होते हुए भी किसी अधिकारी को, जिसे इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार ने अधिकार दिया हो, धारा 49 (1) के अन्तर्गत पकड़ी हुई सम्पत्ति को मुक्त करने का अधिकार होगा।

सीमा–चिन्हों को बदलने तथा पेड़ों और धरन पर लगे हुए चिन्हों को मिटाने या उसी प्रकार के जाली चिन्ह बनाने का दंड ऐक्ट नं0–45, 1860 ई0

59–जनता या किसी व्यक्ति को क्षति या हानि पहुँचाने या भारतीय दंड–विधान–संग्रह में दी हुई परिभाषा के अनुसार अनुचित लाभ कराने के विचार से, यदि कोई व्यक्ति–

(क) जान–बूझ कर किसी धरन या खड़े पेड़ पर इस चिन्ह की नकल करके जाली चिन्ह बनाये, जिसको जंगल अधिकारी यह सूचित करने के लिये काम में लाते हैं कि ऐसी धरन या पेड़ किसी अधिकृत जंगल के हैं या किसी व्यक्ति की सम्पत्ति हैं या उनको कोई व्यक्ति न्यायोचित रूप से काट सकता है या हटा सकता है, या

(ख) किसी अधिकृत जंगल के किसी पेड़ पर लगाये हुए ऐसे चिन्ह को या किसी ऐसी धरन पर लगे हुए चिन्ह को, जो किसी जंगल के अधिकारी के अधिकार के अधीन हो या उसके द्वारा ऐसे जंगल में पड़ा हो या वहां से हटाया गया हो, बदले, बिगाड़े या मिटाये, या

(ग) किसी अधिकृत जंगल के किसी सीमा–चिन्ह को बदले, हटाये, नष्ट करे या बिगाड़ें, तो उसे कारावास का दंड दिया जा सकता है, जिसकी अवधि दस मास तक हो सकती है या अर्थदंड दिया जा सकता है या दोनों प्रकार के दंड दिये जा सकते हैं।

बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार

60–(1) जब किसी व्यक्ति पर सन्देह करने का उचित कारण हो कि उसने ऐसा जंगल–अपराध किया है, जिसके कारण उसे एक महीना या इससे अधिक का कारावास हो सकता है और वह किसी जंगल–अधिकारी या पुलिस अधिकारी के पूछने पर अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है या ऐसा नाम–पता बताता है, जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह असत्य है, तो अधिकारी उसे, नाम और पता निश्चय रूप से जानने के लिये पकड़ सकता है।

(2) ऐसे व्यक्ति का सच्चा नाम और पता मालूम हो जाने पर उसे छोड़ दिया जायगा। यदि पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति का सच्चा नाम और पता मालूम हो सके, तो उसे तुरंत ही सबसे निकट के अधिकारी मैजिस्ट्रेट के पास या सबसे निकट पुलिस स्टेशन के थाने के थानेदार (इन्चार्ज अधिकारी) के पास भेज दिया जायेगा।

अपराध करने से रोकने का अधिकार

61–प्रत्येक जंगल का अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी जंगल–सम्बन्धी हर अपराध को किये जाने से रोकेगा और वे रोकने के उद्देश्य से हस्तक्षेप भी कर सकते हैं।

अपराधों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार

62–(1) प्रान्तीय सरकार विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी जंगल के अधिकारी को यह अधिकार दे सकती है कि वह–

(क) किसी व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध सन्देह करने का उचित कारण हो उसने धारा 59 या धारा 60 में वर्णित अपराध से भिन्न कोई जंगल अपराध किया हो या उसका किया हुआ समझा जाता है, तो क्षतिपूर्ति के स्वरूप रुपये ले ले, और

(ख) किसी सम्पत्ति को, जो अधिकार में ली गई हो और जब्त होने योग्य हो, उसको उसका मूल्य दिये जाने पर मुक्त करे, जिसको जंगल के अधिकारी ने निश्चय किया हो और किसी अधिकृत जंगल य उसकी उपज से सम्बन्धित किसी अपराध के लिए, जिसके करने का जंगल के मालिक पर सन्देह हो, उस प्रकार दिये हुये द्रव्य के सम्बन्ध में वही कार्यवाही करे, जो धारा 41 की उपधारा (3) के वाक्यखण्ड (ख) के अनुसार जंगल में जब्ती की कार्यवाही करने पर प्राप्त द्रव्य के सम्बन्ध में होता है।

(2) ऐसे अधिकारी को ऐसी क्षतिपूर्ति का द्रव्य या मूल्य या दोनों, जैसी भी दशा हो, चुकाने पर अभियुक्त, यदि वह कारागार में हो, तो छोड़ दिया जायगा और छीनी हुई सम्पत्ति, यदि कोई हो, वापस कर दी जायेगी। उस व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जायेगी।

(3) रेन्जर से निम्न श्रेणी के जंगल–अधिकारी को इस धारा के अधिकार प्राप्त न होंगे और उपधारा (1) के वाक्यखण्ड (क) के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का द्रव्य किसी भी दशा में 50 रुपये से अधिक न होगा।

इस बात का अनुमान कि जंगल की उपज अधिकृत जंगलों की है

63–जब कभी किसी जंगल सम्बन्धी अपराध के विषय में यह प्रश्न उठे कि अधिकृत जंगलों की सीमा के भीतर पकड़ी हुई लकड़ी, वृक्ष या दूसरी जंगल की उपज उसी जंगल की है या नहीं, तो तब तक कि इसके विपरीत न सिद्ध कर दिया जाय, यह अनुमान रहेगा कि वह उपज उसी जंगल की है।

अध्याय 6
पशुओं का अनाधिकार प्रवेश

कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट सन् 1871 ई0 का लागू होनो (ऐक्ट सं0 1, 1871 ई0)

64–अधिकृत जंगलों के किसी भाग में पशुओं के अनाधिकार प्रवेश से ही कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट सन् 1871 की धारा 11 के अनुसार सार्वजनिक जंगलों की हानि पहुँचाने के समतुल्य समझा जायगा और वे किसी जंगल–अधिकारी या पुलिस द्वारा पकड़े और खोड़ (कांजी हाउस) में बन्द किये जा सकते हैं।

कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट सन् 1871 ई0 के अन्तर्गत निश्चित अर्थ–दण्ड के बदलने का अधिकार ऐक्ट 1, 1871 ई0

65–प्रांतीय सरकार विज्ञप्ति देकर यह आदेश दे सकती है कि कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट सन् 1871 ई0 की धारा 12 के अन्तर्गत निश्चित अर्थ–दण्डों के स्थान पर इस ऐक्ट की धारा 64 के अन्तर्गत बन्द किये हुए पशुओं को छुड़ाने के लिये प्रान्तीय सरकार जो अर्थ–दण्ड उचित समझ ले।

अध्याय 7
जंगल के अधिकारी

जंगल के अधिकारी जन–सेवक समझे जायेंगे (ऐक्ट 45, 1860 ई0)

66–भारतीय दण्ड–विधान–संग्रह (Indian Penal Code) 1860, की धारा 21 के अनुसार सभी जंगल के अधिकारी जन–सेवक समझे जायेंगे।

जंगल के अधिकारी व्यापार न कर सकेंगे

67–प्रान्तीय सरकार की लिखित आज्ञा के बिना कोई भी जंगल का अधिकारी स्वामी या भृत्य के रूप में वृक्षों, लकड़ियों या जंगल की वस्तुओं का व्यापार न कर सकेगा तथा जंगल सम्बन्धी किसी पट्टे या जंगल के ठेके के कार्य में निजी रूप से भाग न ले सकेगा।

वाद तथा दूसरी कार्यवाहियों पर रोक

68–जब किसी जंगल के विषय में धारा 17 या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन कोई विज्ञप्ति निकाली जाय या धारा 27 की उपधारा (1) या धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दिया जाय, तो

कोई वाद या दूसरी कार्यवाही उस दशा के अतिरिक्त, जिसके लिये उसमें आदेश हो, किसी दीवानी, फौजदारी या माल न्यायालय में न तो की जा सकेगी न उसकी सुनवायी होगी :–

(क) किसी ऐसे अधिकार के संशोधन, स्थगित या अन्त होने के विषय में जंगल में, जिसके प्रयोग करने का किसी को अधिकार हो और जिसके सम्बन्ध में धारा 25 या 26 के अधीन लगाये हुये प्रतिबन्ध के अनुसार संशोधन किया गया हो या अन्य आज्ञा दी गई हो,

(ख) जंगल के बन्दोबस्त के अधिकारी द्वारा धारा 22, 24 या 28 के अनुसार दी हुई किसी आज्ञा की या धारा 30 की उपधारा (2) या (3) के अन्तर्गत करूण–पुकार (अपील) या पुनरावृत्ति (रिवीज़न) में दी हुई आज्ञाओं को हटाने या बदलने के लिये,

(ग) प्रान्तीय सरकार या उसके किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में, जो प्रान्तीय सरकार द्वारा अधिकृत जंगल में की गई हो या करने से रह गई हो या प्रान्तीय सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध जब ऐसा जंगल प्रान्तीय सरकार के प्रबन्ध या देख–भाल में था या ऐसे लाभ के सम्बन्ध में, जो जंगल के प्रबन्ध और देख–भाल से उत्पन्न हुआ हो, और जिसे जंगल का मालिक मांगता है,

(घ) ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जिसको प्रान्तीय सरकार के किसी कर्मचारी ने, इस ऐक्ट में निर्धारित किसी कर्त्तव्य के पालने के लिये या इसके अधीन प्रदान किये गये किसी अधिकार के उपयोग के लिये शुभ इच्छा से किया हो या जिसके सम्बन्ध में यह समझा जाय कि वह शुभ इच्छा से किया गया है।

व्यक्तियों को जंगल और पुलिस अधिकारी की सहायता देना

69–(1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका अधिकृत जंगल में कोई अधिकार हो या जिसे वहां से जंगल की को उपज लेने की आज्ञा हो या जिसे ऐसे जंगलों में वृक्ष या धरन काटने का वहां से हटाने की या पशु चराने की आज्ञा हो या उसके द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे उसने जंगल–कार्य के लिये रखा हो या प्रान्तीय सरकार से जन–सेवा के लिये वेतन मिलता हो, आवश्यक होगा कि वह बिना अनावश्यक विलम्ब किये, निकटस्थ जंगल या पुलिस अधिकारी को, जो सूचना उसके पास है, दे कि कोई जंगल–अपराध किया गया है या किया जाने वाला है और उसके लिये अनिवार्य होगा कि निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में चाहे जंगल का अधिकारी या पुलिस अधिकारी कहे या न कहे, आवश्यक कार्यवाही करे :–

(क) दावाग्नि, जिसके विषय में उसे ज्ञान या सूचना हो, बुझाये,

(ख) जंगल के सन्निकट आग को, जिसके विषय में उसे सूचना या ज्ञान हो, सभी न्याययुक्त उपायों से जंगल में फैलने से रोके और उसके लिये आवश्यक होगा कि वह किसी अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा सहायता मांगने पर सहायता दे,

(ग) जंगल में किसी जंगल–सम्बन्धी अपराध हाने से रोके,

(घ) जंगल–अपराध किये जाने का विश्वस्त कारण होने पर अपराधी को खोजे और पकड़वा दे।

(2) कोई व्यक्ति, जो ऐसा करने के लिये वाध्य हो और बिना न्यायोचित कारण के, जिसे सिद्ध करने का भार उसी पर होगा–

(क) बिना अनावश्यक विलम्ब किये निकटस्थ जंगल अधिकारी या पुलिस अधिकारी को सूचना न देगा, जिसके लिये उपधारा (1) में आदेश है, या

(ख) किसी अधिकृत जंगल में दावाग्नि बुझाने की कार्यवाही न करेगा, जिसके लिये उपधारा (1) में आदेश है, या

(ग) किसी जंगल के अधिकारी या पुलिस अधिकारी को, जो उसकी सहायता ऐसे जंगल मे जंगल–अपराध के रोकने में मांगे, सहायता न देगा या जब उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि जंगल में अपराध किया गया है, तो अपराधी की खोज लगाने और पकड़वाने में सहायता न देगा, तो उसे ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, जो एक मास तक का हो सकता है या उसे अर्थ–दण्ड दिया जा सकता है, जो 200 रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जा सकते है।

अध्याय 8

बागात का नियन्त्रण

बागों या बागों की भूमि का प्रबन्ध

यु0 प्रा0 ऐक्ट सं0 17 सन् 1939 ई0

70–प्रान्तीय सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर सकती है कि यू0पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 ई0 की धारा 3 में परिभाषित बागों या बाग की भूमि के प्रबन्ध के लिये उन विषयों की व्यावहारिक व्यवस्था आवश्यक है, जिनका वर्णन इस ऐक्ट की धारा 4 एवं 10 में किया गया है और इसलिये इस अध्याय के आदेशों को उपरोक्त बागों पर या बाग की भूमि पर लागू किया जा रहा है।

बागों के विषय में इस ऐक्ट का प्रयोग

71–धारा 70 के अनुसार विज्ञापित बाग एवं भूमि के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि घोषणा द्वारा इस ऐक्ट के सम्पूर्ण अथवा कुछ आदेश, मूल व्यवस्था में अथवा उस बन्धेज तथा रूपान्तर के साथ, जिसे प्रान्तीय सरकार उचित समझे लागू कर दें।

अध्याय 9

विविध

सरकार को देय रुपये का उगाहना

72–रुपया, जो प्रान्तीय सरकार को इस ऐक्ट या इसके अधीन बनाये हुए नियमों के अन्तर्गत या जंगल की किसी उपज के मूल्य के लिये देय हो और जो देय होने पर न दिया जाय, तो उसे प्रचलित कानून के अधीन इस प्रकार वसूल किया जा सकता है, मानो वह भू–आगम (मालगुजारी) का शेष हो।

सरकारी देय धन का जंगल की उपज पर भार

73–(1) जंगल का उपज या उसके सम्बन्ध में यदि धन देय हो, तो ऐसे धन का प्रथम भार समझा जायेगा और जब तब धन चुका न दिया जाये जंगल का अधिकारी ऐसी उपज को अपने कब्जे में रख सकता है।

(2) देय होने पर ऐसा धन चुकता न किया जाये, तो जंगल अधिकारी को अधिकार होगा कि वह उपज को सार्वजनिक नीलाम करके बेच दे और नीलाम की आय पहले ऐसी धनराशि को चुकाने में लगायी जायेगी।

(3) यदि नीलाम के दिनांक से 6 मास के भीतर अवशिष्ट धन, यदि कोई हो, अधिकार प्राप्त व्यक्ति, द्वारा न मांगा जाय, तो प्रान्तीय सरकार के पक्ष में जब्त हो जायगा।

प्रतिज्ञा–पत्र के अन्तर्गत देय अर्थदण्डों का उगाहना

ऐक्ट नं0 9, 1972 ई0

74–यदि कोई व्यक्ति, जो इस ऐक्ट के किसी भी आदेश या किसी भी नियम के पालने के लिये किसी प्रतिज्ञा–पत्र या लेख–पत्र द्वारा किसी कर्त्तव्य या कार्य करने के लिये अपने को बाध्य करता है या किसी प्रतिज्ञा–पत्र द्वारा यह प्रतिज्ञा करता है कि वह या उसके कर्मचारी और भृत्य कोई कार्य न करेंगे, तो इंडियन कॉन्ट्रेक्ट ऐक्ट, 1872 ई0 की धारा 76 में किसी प्रतिकूलता के होते हुए भी, वह सब धन, जिसके सम्बन्ध में ऐसे प्रतिज्ञा–पत्र या लेख–पत्र में ऐसा उल्लेख हो कि वह उसके प्रतिबन्धों के उल्लंघन की दशा में देय होगा, ऐसे उल्लंघन की दशा में उससे इस प्रकार उगाह लिया जायगा मानो वह भू–आगम का शेष है।

नियम बनाने के अधिकार

75–(1) प्रान्तीय सरकार इस ऐक्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषकर और पूर्व कथित अधिकार की सर्व–मान्यता पर बिना प्रभाव डाले ऐसे नियम निम्नांकित सब विषयों या किसी विषय के प्रबन्ध के लिये हो सकते हैं, अर्थात्–

(क) धरन एवं वृक्ष को काटने, चीरने और काम में लाने के लिये या अधिकृत जंगलों से जंगल की उपज को एकत्रित करने, बनाने या हटाने के लिये,

(ख) अधिकृत जंगलों के निकट के नगरों और गांवों के निवासियों को निजी उपयोग के लिये वृक्ष, धरन या जंगल की अन्य उपज के लाने का लाइसेन्स देने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा उन लाइसेन्सों के उपस्थित करने और लौटाने के लिये,

(ग) व्यापार के प्रयोजनों के लिये लोगों को ऐसे जंगलों में वृक्षों या धरन या जंगल की अन्य उपज काटने या हटाने के लिये लाइसेन्स देने के लिये और ऐसे व्यक्तियों द्वारा उन लाइसेन्सों के उपस्थित करने और लौटाने के लिये,

(घ) वाक्य–खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा ऐसे वृक्षों को काटने या धरन और जंगल की अन्य उपज हटाने या एकत्रित करने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये, धन की अदायगी के लिये,

(ङ) ऐसे वृक्षों, धरन या जंगल की उपज के लिये, अन्य धन, यदि कोई हो, दिये जाने के सम्बन्ध में और उन स्थानों के सम्बन्ध में, जहां धन दिया जायेगा;

(च) ऐसे जंगलों के बाहर जाती हुई उपज की जांच के लिये,

(छ) ऐसे जंगलों में खेती तथा अन्य ऐसे ही उद्देश्यों के लिये धरती साफ करने और तोड़ने के लिये,

(ज) ऐसे जंगलों में पड़ी हुई धरन और वृक्षों को आग लगने से बचाने के लिये,

(झ) ऐसे जंगलों की घास काटने और उनमें पशुओं को चराने के लिये,

(ञ) ऐसे जंगलों में मछली मारने, आखेट खेलने, तुपक चलाने, पानी में विष मिलाने, फन्दा और जाल लगाने के लिये और ऐसे जंगलों को ऐसे क्षेत्रों में, जहां एलिफेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट सन् 1879 ई0 लागू न हो, हाथियों को मार डालने या पकड़ने के लिये :

ऐक्ट सं0 6, 1879 ई0

किन्तु इस वाक्य–खण्ड के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा किसी अधिकृत जंगल के मालिक को या उसके और जंगल–अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को जंगल में आखेट खेलने, गोली चलाने या मछली मारने के लिये कोई अनुमति–पत्र प्राप्त करने या फीस देने के लिये बाध्य न किया जायगा।

(ट) ऐसे जंगलों में कोयला बनाने या जंगल की किसी उपज से वस्तु बनाने के लिये,

(ठ) ऐसे जंगलों के अधिकार–प्राप्त व्यक्तियों के अधिकार–प्रयोग के लिये,

(ड) ऐसे ऐक्ट के अधीन अर्थ–दण्डों और जब्तियों की आय से अधिकारियों या भेदियों को पारितोषिक देने की व्यवस्था करने के लिये,

(ढ) इस ऐक्ट की धारा 76 की आदेश–पूर्ति के लिये खानों के कार्य और खनिज पदार्थ खोदने की व्यवस्था करने के लिये,

(ण) इस ऐक्ट के अन्तर्गत किसी जंगल–अधिकारी के अधिकारों और कर्त्तव्यों की व्यवस्था करने के लिये,

(त) धारा 40 में उल्लिखित ब्यौरे में उन मदों के लिये जो आय–व्यय के लिये रखी जायंगी और उस ढंग के लिये, जिसके अनुसार वह ब्यौरा तैयार किया जायगा,

(थ) किसी ऐसे विषय के लिये, जिसके सम्बन्ध में इस ऐक्ट में स्पष्ट आदेश या आज्ञा है कि उसके नियम निर्धारित किये जायेंगे या नियमों द्वारा प्रबन्ध किया जायगा।

3(क) इस धारा के अन्तर्गत नियम बनाने के अधिकार का प्रयोग इस दशा में किया जा सकता है कि नियम बनने के पूर्व प्रकाशित कर दिये जाये,

(ख) इस धारा के अन्तर्गत निर्मित समस्त नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और वे प्रकाशित होने के दिनांक से ही लागू हो जायेंगे, यदि इस विषय में कोई दूसरा दिनांक स्थिर न कर दिया गया हो,

(ग) इस धारा के अन्तर्गत निर्मित समस्त नियम बनते ही जितनी शीघ्र सम्भव हो सके, संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा (United Provinces Legislative Assembly) में कम से कम 14 दिन के पहले उपस्थित किये जायेंगे और व्यवस्थापिका सभा उन नियमों का रूपान्तर अपने कार्यकाल के उस अधिवेशन में, जिसमें कि वे उपस्थित किये जायेंगे, कर सकती है।

76–इस ऐक्ट की किसी बात से अधिकृत जंगल में या उसमें उपस्थित खनिज पदार्थ–सम्बन्धी किसी अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा और प्रान्तीय सरकार के लिये आवश्यक होगा कि जिन व्यक्तियों को इन खनिज पदार्थों पर अधिकार है, उनके अधिकार के प्रयोग के लिये अपने नियमों के अनुसार उचित प्रबन्ध करें। **बचाव**